

कार्यालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा।

विश्राम-कक्ष
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा।

प्रकीर्ण प्रशासनिक आदेश सं० / सी.जे.एम. / 21.11.2023

प्रशासनिक आदेश

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित पूर्व प्रशासनिक आदेश दिनांकित 31.10.2023 के द्वारा न्यायिक रिमाण्ड कार्य हेतु दिनांक 01.11.2023 से 30.11.2023 तक अवकाश दिवस में श्रीमती फरहीन खान, प्रथम अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा को तथा दिनांक 01.12.2023 से 31.12.2023 तक अवकाश दिवस में श्रीमती वरुणा वशिष्ठ, सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा को नामित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार उपरोक्त दोनों पीठासीन अधिकारियों की पदोन्नति के कारण उनके न्यायालय परिवर्तित हो गये हैं, किन्तु माह नवम्बर व दिसम्बर, 2023 में अवकाश दिवस में न्यायिक रिमाण्ड कार्य पूर्व प्रशासनिक आदेश दिनांकित 31.10.2023 के अनुसार (शीतकालीन अवकाश को छोड़कर) सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

परन्तु शीतकालीन अवकाश दिनांक 23.12.2023 से 31.12.2023 तक न्यायिक रिमाण्ड कार्य हेतु निम्न तालिकानुसार पीठासीन अधिकारियों को नामित किया जाता है :-

क्र० सं०	शीतकालीन अवकाश दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम व पदनाम
1.	दिनांक 23.12.2023, 24.12.2023 व 25.12.2023	श्रीमती वरुणा वशिष्ठ, प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा।
2.	दिनांक 26.12.2023 व 27.12.2023	श्रीमती फरहीन खान, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल (सी०डि०) त्वरित, बांदा।
3.	दिनांक 28.12.2023 व 29.12.2023	सुश्री बिन्नी बालयान, न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू०डि०), बांदा।
4.	दिनांक 30.12.2023 व 31.12.2023	सुश्री चारु कैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू०डि०) त्वरित न्यायालय प्रथम, बांदा।

दिनांक 01.01.2024 से 31.01.2024 तक अवकाश दिवस में सुश्री चारु कैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू०डि०) त्वरित न्यायालय प्रथम, बांदा को, दिनांक 01.02.2024 से 29.02.2024 तक अवकाश दिवस में सुश्री बिन्नी

बालयान, न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू0डि0), बांदा को तथा दिनांक 01.03.2024 से 31.03.2024 तक अवकाश दिवस में श्रीमती फरहीन खान, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल (सी0डि0)त्वरित, बांदा को न्यायिक रिमाण्ड कार्य हेतु नामित किया जाता है।

सर्व संबंधित सूचित हों।

(भगवानदास गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

बांदा।

21.11.23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1.माननीय जनपद न्यायाधीश,बांदा।
- 2.श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बांदा।
- 3.प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा।
- 4.अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सी0डि0)त्वरित न्यायालय, बांदा।
- 5.सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,बांदा।
- 6.सिविल जज (जू0डि0)त्वरित न्यायालय प्रथम/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा।
- 7.संयुक्त निदेशक, अभियोजन, बांदा।
- 8.अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, बांदा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांदा।

21.11.23